न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–940/2024

राज्य बनाम गौस मोहम्मद उर्फ गुड्डू आदि।

मुकदमा अपराध संख्या–23/2024
धारा–307 भा०दं०सं० व 3/25 आयुध अधिनियम।
थाना–ऊसराहार, जिला–इटावा।

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 इटावा आप अभियुक्तगण **गौस मोहम्मद उर्फ गुड्डू व सलमान** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः– यह कि दिनांक 03.02.2024 को समय 21.30 बजे व स्थान हिन्दुपुर गाँव से खरगपुर सरैया, बम्बा की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित हिन्दूपुर, मौजा पानी की टंकी से करीब 100 कदम आगे, अन्तर्गत थानाक्षेत्र ऊसराहार जिला इटावा पर आप अभियुक्तगण को मय चार पहिया कार स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नम्बर UP 32 FL 0533 सहित रोके जाने पर, आप लोगों ने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुलिसदल के सदस्यों को जान से मारने की नियत से, ऐसे आशय ज्ञान व परिस्थितियों पर तमंचे से फायर कर दिया कि यदि पुलिस दल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–307 सपठित धारा–34** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त गौस मोहम्मद उर्फ गुड्डू की जामातलाशी से दाहिने हाथ में पकड़े एक अदद तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा है तथा पहने लोवर की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिंदा 315 बोर व अन्य सामान की बरामदगी की गयी एवं अभियुक्त सलमान की जामातलाशी से दाहिने हाथ में लिए एक अदद तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा है व पहने पैन्ट की बांयी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अन्य सामान की बरामदगी की गयी। इस

प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो आयुध अधिनियम की **धारा–3/25** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(नीरज कुमार गर्ग)

दिनांक–04.10.2024

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)

दिनांक–04.10.2024

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–940/2024

राज्य बनाम गौस मोहम्मद उर्फ गुड्डू आदि।

मुकदमा अपराध संख्या–23/2024
धारा–307 भा०दं०सं० व 3/25 आयुध अधिनियम।
थाना–ऊसराहार, जिला–इटावा।

–आदेश–

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने राज्य की ओर से अभियोजनपक्ष के मामले का वर्णन किया और अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विचारण देते हुए यह बताया कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ऐसी उपधारण करने का उचित आधार है अभियुक्तगण **गौस मोहम्मद उर्फ गुड्डू व सलमान** ने धारा–307 भा०दं०सं० सपठित धारा 34 भा०दं०सं० व धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाये।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–04.10.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इन्कार किया और विचारण की मांग की। अतः अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 15.10.2024 को प्रस्तुत हो। समस्त गवाहान तलब हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–04.10.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।